रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052021-226923
CG-DL-E-07052021-226923

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 7, 2021/वैशाख 17, 1943
No. 258] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 7, 2021/VAISAKHA 17, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2021

सं. 29/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 324(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "सीमलेस ट्यूब्स, पाइप तथा लोहे के होलो प्रोफाइल, जो कि मिश्रधातु स्टील (कच्चा लोहे तथा स्टेनलेस स्टील से भिन्न) से बने हो और चाहे हॉट फिनिश्ड अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोड हो, जिसका बाहरी व्यास 355.6 एमएम अथवा 14" ओडी से अधिक न हो" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के 7304 अंतर्गत आते हैं, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 7/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 फरवरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 143 (अ), दिनांक 17 फरवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए निर्णायक प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/43/2020-डीजीटीआर, दिनांक 19 फरवरी, 2021, जिसे दिनांक 19 फरवरी, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है;

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 7/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 फरवरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 143 (अ), दिनांक 17 फरवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात, स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 31 अक्तूबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा।"।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/6/2021 –टीओ (टीआरयू-1)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 7/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 फरवरी, 2017 को सा.का.नि. 143 (अ), दिनांक 17 फरवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2021

No. 29/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 324(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/43/2020-DGTR, dated the 19th February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 19th February, 2021, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of "Seamless tubes, pipes and hollow profiles of iron, alloy or non-alloy steel (other than cast iron and stainless steel), whether hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD" (hereinafter referred to as the

subject goods) falling under 7304 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from Peoples' Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), imposed definitively *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 7/2017-Customs (ADD), dated the 17th February, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 143 (E), dated the 17th February, 2017 and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 7/2017-Customs (ADD), dated the 17th February, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 143 (E), dated the 17th February, 2017, namely: -

In the said notification, after paragraph 2, before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 31st October, 2021, unless revoked, superseded or amended earlier.".

[F.No. CBIC-190354/6/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN,Under Secy.

Note: The principal notification No. 7/2017-Customs (ADD), dated the 17th February, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 143(E), dated the 17th February, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.05.07 20:26:56 +05'30'